

विषय :- सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादक कंपन्यांच्या नोंदणीस मान्यता प्रदान करणेबाबत.

कृषि आयुक्तालय,
महाराष्ट्र राज्य,शिवाजीनगर पुणे- ४११ ००५.

कृआआ-२०२२/प्र.म.कृ.सिं.यो./कॅनोंनुक/300/70394 /फलो-४
कृषि आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे - ४११ ००५,
दि. 20 मे २०२२

- वाचा :-
- १) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना फ.नं.१४२/२०१५ हॉट २०२१ दि.०८/१०/२०२१
 - २) शासन पत्र ssy-2018/C.R.3/14-A,दि.१३.०२.२०१८ सोबतचे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेतर्गत ७ व्या राज्यस्तरीय मान्यता समितीचे इतिवृत्तांतातील अ.क्र.६ मधिल परिच्छेद -२ मधिल मा.मुख्य सचिव यांचे निर्देश.
 - ३) कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्रमांक कृआआ-२०१८/प्र.म.कृ.सिं.यो./कॅनोंनुक/भाग-१/प्र.क्र.०१/२३८, दि.०९.०३.२०१९
 - ४) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जाक्र/कृआ/२०२१/फलो-४/प्रमकृषियो/मा.सु/८८०/४२५२६ दि २३.१२.२०२१
 - ५) प्र.म.कृ.सिं.यो. अंतर्गत सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादकांच्या नोंदणीसाठी कृषि आयुक्तालयस्तर गठीत छाननी समितीच्या दि.१८/०५/२०२२ रोजीच्या बैठकीचा इतिवृत्तांत.

आदेश

उपरोक्त वाचा येथिल (अ.क्र.२) दिनांक १३ फेब्रुवारी,२०१९ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेतर्गत ७ व्या राज्यस्तरीय मान्यता समितीच्या दि.२८ जानेवारी,२०१९ रोजी आयोजित बैठकीच्या इतिवृत्तांतातील चर्चा / सूचना / निर्णय मधिल अ.क्र.६ मधिल परिच्छेद -२ मध्ये मा.मुख्य सचिव यांनी सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादकांच्या नोंदणीसंदर्भात कृषि आयुक्तालयस्तरावर छाननी समिती गठीत करण्याबाबत निर्देशित केले आहे. तसेच, सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादकांच्या नोंदणीसाठी निम्न स्वाक्षरीकार यांना प्राधिकृत केलेले आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.३ वरील आदेशान्वये संचालक,फलोत्पादन यांचे अध्यक्षतेखाली कृषि आयुक्तालयस्तरावर छाननी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.

संचालक,फलोत्पादन यांचे अध्यक्षतेखालील छाननी समितीच्या १८ मे २०२२ रोजी आयोजित बैठकीमध्ये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनातील अटी व शर्तीची पूर्तता होत असलेल्या एकुण ८ सुक्ष्म सिंचन उत्पादक कंपन्यांच्या नोंदणीस मान्यता देण्यासाठी शिफारस केलेली आहे. त्यानुसार सर्वदृष्ट्या वैध असलेल्या व भारतीय मानक ब्युरोचे (BIS) वैध प्रमाणपत्र तसेच, जीएसटीएन व डीआयएन क्रमांक/भागीदारी करार धारण करणाऱ्या सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- १ मध्ये नमूद ठिबक व तुषार-०१ व निव्वळ तुषार-०३ आणि निव्वळ ठिबक - ०४ असे एकूण ०८ सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादक कंपन्यांच्या नवीन नोंदणीस सन २०२२-२३ ते २०२६-२७ या पाच वर्षांसाठी खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या जिल्हयांमध्ये सुक्ष्म सिंचनाची कामे करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

१. सुक्ष्म सिंचन योजना अंमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये ठिबक सिंचन संच उत्पादक कंपन्यांची करण्यात आलेली नोंदणी सन २०२२-२३ ते २०२६-२७ या पाच (५) वर्षांसाठी वैध राहिल. मात्र सदरहू कंपन्यांनी पुढील प्रत्येक वर्षी कृषि आयुक्तालयाने विहित केलेले शुल्क भरून नुतनीकरण करणे आवश्यक आहे.

२. या आदेशान्वये नोंदणीस मान्यता देण्यात आलेल्या कंपन्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या प्रत्येक घटकांच्या बीआयएस वैधतेची मुदत संपल्यानंतर एक महिन्याचे आत वैध बीआयएस प्रमाणपत्र कृषि आयुक्तालयास सादर करण्याची जबाबदारी संबंधीत कंपनीची राहिल. अशी कागदपत्रे वेळेत सादर न केल्यास त्या कंपनीचे नोंदणी आपोआप रद्द होईल.

३. नोंदणीच्या वेळी नोंदणीकृत कंपन्यांनी सादर केलेल्या दरपत्रकातील दरापेक्षा जास्त दराने, कोणत्याही घटकांची विक्री करता येणार नाही. तसेच सदरचे दरपत्रक कृषि आयुक्तालयाच्या ई-ठिंबक आज्ञावलीवर नोंदणीवेळी नोंदणीकृत कंपन्यांनी भरणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत कंपन्यांनी त्यांच्या दरपत्रकात त्या आर्थिक वर्षात वाढ किंवा घट केल्यास इ-ठिंबक आज्ञावलीवर भरणे व कृषि आयुक्तालयास त्वरित कळविणे त्यांचेवर बंधनकारक राहिल.

४. नोंदणीप्राप्त जिल्ह्यात विक्रीपश्चात सेवा केंद्र उभारणी करणे व त्याबाबतची आवश्यक ती माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना सादर करून त्यांची तपसाणी करून घेण्याची जबाबदारी संबंधीत नोंदणीकृत कंपन्यांची राहिल.

५. नोंदणीकृत कंपन्यांनी मान्यता दिलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यातील त्यांच्या वितरकांची यादी नोंदणीसाठी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करून त्यांची नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे.


६. नोंदणीस मान्यता देण्यात आलेल्या सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादक कंपनीने उत्पादीत केलेल्या व वितरकांना पुरवठा केलेल्या सर्व घटकांचा घटकनिहाय अहवाल दरमहा महिना संपताच पुढील माहिण्याच्या १० तारखेपर्यंत मार्गदर्शक सुचनातील विहित प्रपत्र-५(अ) व ५(ब) मध्ये सादर करणे आवश्यक राहिल.

७. नोंदणीस मान्यता दिलेल्या सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादक कंपनीने उत्पादीत केलेल्या व कंपनीने प्राधिकृत केलेल्या वितरकास पुरवठा केलेल्या आणि वितरकांनी सुक्ष्म सिंचन योजनेतर्गत शेतकऱ्यांना विक्री केलेल्या सर्व घटकांचा घटकनिहाय अहवाल दरमहा महिना संपताच पुढील माहिण्याच्या १० तारखेपर्यंत विहित केलेल्या प्रपत्रामध्ये विहित मार्गाने सादर करणे आवश्यक राहिल.

८. सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादकांनी निश्चीत केलेल्या उद्दीष्टाप्रमाणे सुक्ष्म सिंचनाची कामे करण्याची जबाबदारी संबंधित उत्पादकांची राहिल. तथापी, उत्पादक कंपनीला राज्यात किमान ५०० हेक्टर क्षेत्रावर सुक्ष्म सिंचनाची कामे करणे बंधनकारक राहिल. तसेच, मान्यता दिलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान १०० हेक्टर क्षेत्रावर सुक्ष्म सिंचनाची कामे करणे बंधनकारक राहिल.

९. सन २०२१-२२ साठी मार्गदर्शक सुचना कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जाक्र /कृआ /२०२१ /फलो-४/प्रमकृषियो/मा.सु/८८०/४२५२ दि २३.१२.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. यापुढे केंद्र, राज्य शासन, कृषि आयुक्तालयस्तरावरून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या सुचना, अटि व शर्ती सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादक कंपन्या व त्यांच्या अधिकृत वितरकांवर बंधनकारक राहातील.

सोबत: परिशिष्ट- १ नोंदणीस मान्यता देण्यात आलेल्या ठिंबक व तुषार उत्पादकांची यादी.


आयुक्त कृषि
महाराष्ट्र राज्य, पुणे

प्रति,

मे. -----

प्रतिलिपी - यांना माहितीसाठी व पुढील प्रमाणे कार्यवाहीसाठी अग्रेषित.

- १) विभागीय कृषि सहसंचालक, सर्व
- २) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, (सर्व)

१/- सन २०२२-२३ या वर्षासाठी सुध्दा जिल्हास्तरावर संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील वितरकांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी वितरक नोंदणीसाठी आवश्यक असलेले व कृषि आयुक्तालयाने विहित केलेले शुल्क रु.२७५०/- (अक्षरी रु.दोन हजार सातशे पन्नास फक्त) ग्रासप्रणालीद्वारे /चलनाद्वारे खालील लेखाशिर्षातर्गत भरून घ्यावे. तसेच रु.१०,०००/- (अक्षरी रु.दहा हजार फक्त) रकमेची बँक गॅरंटी घेवून दि.२३.१२.२०२१ रोजीच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार वितरकांची नोंदणी करावी.(ठिबक व तुषार या करीता शुल्क स्वतंत्र भरण्याची आवश्यकता नाही)

मागणी क्र.डी.-१

०४०१ - पीक संवर्धन


८००, इतर जमा रकमा

(०१)(१२) इतर बाबी

(०४०१०४५५)

२/- संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी व त्यांचे जिल्हातील सुक्ष्म सिंचन वितरक या दोघामधील कृषि आयुक्तालयाने विहित करून दिलेल्या नमुन्यातील करारनामा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी रु.१००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराइज्ड करून घ्यावा.

३/- सन २०२२-२३ मध्ये सुक्ष्म सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणत्याही त्रुटी राहणार नाहीत याची दक्षता कंपनी त्यांचे वितरक/विक्रेते तसेच कृषि विभागाच्या अधिकारी/कर्मचा-यांनी घेणे आवश्यक आहे.


संचालक फलोत्पादन
कृषि आयुक्तालय, पुणे

परिशिष्ट क्र. १: सन २०२२-२३ मध्ये नोंदणीस मान्यता देण्यात आलेल्या उत्पादकांची यादी
उत्पादकाचे नाव : " निर्मल इरीगेशन, जळगाव "

ठिबक सिंचन

| बि.आय.एस.नोंदणी क्र. व वैधता कालावधी | | | मान्यता प्राप्त जिल्हा यादी | |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
| BIS Component | BIS NO | CML NO | | |
| Laterals | IS 12786: 1989 | 7800074113 | जळगाव | पुणे |
| Emitter(Dripper) | IS 13487: 1992 | 7596502 | औरंगाबाद | |
| Emitting Pipe(Inline) | IS 13488: 2008 | 7800074214 | जालना | |
| Str. type filters(Scren/Disc) | IS 12785: 1994 | 7800045518 | हिंगोली | |
| PVC Pipes | IS 4985 – 2000 | 7057771 | नांदेड | |
| ---- | ---- | ---- | एकुण | ६ |

नोंदणी वैधता कालावधी : सन २०२२-२३ ते २०२६-२७

(Signature)

परिशिष्ट क्र. १: सन २०२२-२३ मध्ये नोंदणीस मान्यता देण्यात आलेल्या उत्पादकांची यादी
उत्पादकाचे नाव : " बालाजी पॉलीप्लास्ट, रायपूर "


तुषार सिंचन

| बि.आय.एस.नोंदणी क्र. व वैधता कालावधी | | | मान्यता प्राप्त | |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|--|
| BIS Component | BIS NO | CML NO | जिल्हा यादी | |
| Rot.sprinkler Part I | IS 12232 (2011) | 3166857 | अमरावती | |
| HDPE Sprinkler pipes - | IS I4151 (part II) | 5900004511 | वर्धा | |
| ---- | ---- | ---- | चंद्रपूर | |
| ---- | ---- | ---- | नागपूर | |
| ---- | ---- | ---- | यवतमाळ | |

एकुण

५

नोंदणी वैधता कालावधी : सन २०२२-२३ ते २०२६-२७



परिशिष्ट क्र.१: सन २०२२-२३ मध्ये नोंदणीस मान्यता देण्यात आलेल्या उत्पादकांची यादी
उत्पादकाचे नाव : रेझोनंट प्लास्ट प्रा.लि. नाशिक

ठिबक सिंचन

| बि.आय.एस.नोंदणी क्र. व वैधता कालावधी | | | मान्यता प्राप्त जिल्हा यादी | |
|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|----------|
| BIS Component | BIS NO | CML NO | | |
| Laterals | IS 12786: 1989 | 7800026312 | अहमदनगर | नांदेड |
| Emitter(Dripper) | IS 13487: 1992 | 7800026514 | औरंगाबाद | नंदुरबार |
| Emitting Pipe(Inline) | IS 13488: 2008 | 7800026413 | बीड | नाशिक |
| Str. type filters(Screen/Disc) | IS 12785: 1994 | 7714781 | बुलढाणा | परभणी |
| Venturi Injector | IS 14483 (Part 1) | 7800008015 | धुळे | सांगली |
| Hydro cyclon Filter | IS 14743: 1999 | 2900854 | हिंगोली | सातारा |
| ---- | ---- | ---- | जळगाव | सोलापूर |
| ---- | ---- | ---- | जालना | वाशिम |
| ---- | ---- | ---- | कोल्हापूर | |
| ---- | ---- | ---- | लातूर | |
| ---- | ---- | ---- | एकुण | १८ |

वैधता कालावधी : सन २०२२-२३ ते २०२६-२७

G. K. Ambekar


परिशिष्ट क्र.१: सन २०२२-२३ मध्ये नोंदणीस मान्यता देण्यात आलेल्या उत्पादकांची यादी

उत्पादकाचे नाव : सुजल इंडस्ट्रीज, जळगाव

तुषार सिंचन

| बि.आय.एस.नोंदणी क्र. व वैधता कालावधी | | | मान्यता प्राप्त जिल्हा यादी | |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|---|
| BIS Component | BIS NO | CML NO | | |
| Rot.sprinkler Part I | IS 12232 (1996) | 8205260 | जळगाव | |
| HDPE Sprinkler pipes - | IS 14151 (part II) | 7700184517 | औरंगाबाद | |
| Laterals | IS 12786: 1989 | 7800043413 | बुलढाणा | |
| Str. type filters(Scren/Disc) | IS 12785: 1994 | 3006128 | धुळे | |
| Venturi Injector | IS 14483 (Part 1) | 3178056 | नाशिक | |
| Media Filter (Sand Filter) | IS 14606: 1998 | 7500055811 | नंदुरबार | |
| Hydro cyclon Filter | IS 14743: 1999 | 3285158 | जालना | |
| PVC Pipes | IS 4985 - 2000 | 1235335 | एकुण | ७ |

वैधता कालावधी : सन २०२२-२३ ते २०२६-२७



परिशिष्ट क्र.१: सन २०२२-२३ मध्ये नोंदणीस मान्यता देण्यात आलेल्या उत्पादकांची यादी

उत्पादकाचे नाव : लक्ष्मी अॅग्रो इंडस्ट्रीज, जळगाव

ठिबक सिंचन

| बि.आय.एस.नोंदणी क्र. व वैधता कालावधी | | | मान्यता प्राप्त जिल्हा यादी | |
|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|---|
| BIS Component | BIS NO | CML NO | | |
| Laterals | IS 12786: 1989 | 7700184913 | जळगाव | |
| Emitter(Dripper) | IS 13487: 1992 | 7362675 | धुळे | |
| Emitting Pipe(Inline) | IS 13488: 2008 | 7700184820 | औरंगाबाद | |
| Str. type filters(Scren/Disc) | IS 12785: 1994 | 7200009795 | जालना | |
| Str. type filters(Scren/Disc) | IS 12785: 1994 | 7272068 | | |
| Venturi Injector | IS 14483 (Part 1) | 7200009694 | | |
| Media Filter (Sand Filter) | IS 14606: 1998 | 2930560 | | |
| Hydro cyclon Filter | IS 14743: 1999 | 7200089209 | | |
| PVC Pipes | IS 4985 – 2000 | 3975082 | | |
| PVC Pipes | IS 4985 – 2000 | 770018214 | | |
| | | | एकुण | ४ |

वैधता कालावधी : सन २०२२-२३ ते २०२६-२७

G. Kulkarni

परिशिष्ट क्र.१: सन २०२२-२३ मध्ये नोंदणीस मान्यता देण्यात आलेल्या उत्पादकांची यादी

उत्पादकाचे नाव : रीव्युलीस इरीगेशन इंडीया प्रा.लि.पुणे

तुषार सिंचन

| बि.आय.एस.नोंदणी क्र. व वैधता कालावधी | | | मान्यता प्राप्त जिल्हा यादी | |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|------------|
| BIS Component | BIS NO | CML NO | | |
| Rot.sprinkler Part I | IS 12232 (1996) | 8205260 | अहमदनगर, उस्मानाबाद | |
| Rot.sprinkler Part I | IS 12232 (1996) | 8939410 | अकोला | पालघर |
| HDPE Sprinkler pipes - | IS I4151 (part II) | 2941060 | अमरावती | परभणी |
| HDPE Sprinkler pipes - | IS I4151 (part II) | 8386391 | औरंगाबाद | पुणे |
| Laterals | IS 12786: 1989 | 3645768 | बीड | रत्नागिरी |
| Str. type filters(Scren/Disc) | IS 12785: 1994 | 3006128 | भंडारा | सांगली |
| Str. type filters(Scren/Disc) | IS 12785: 1994 | 4635972 | बुलढाणा | सातारा |
| Str. type filters(Scren/Disc) | IS 12785: 1994 | 7126057 | चंद्रपूर | सिंधुदुर्ग |
| Str. type filters(Scren/Disc) | IS 12785: 1994 | 7600095713 | धुळे | सोलापूर |
| Venturi Injector | IS 14483 (Part 1) | 3178056 | गडचिरोली | वर्धा |
| Venturi Injector | IS 14483 (Part 1) | 7600098820 | गोंदिया | वाशिम |
| Media Filter (Sand Filter) | IS 14606: 1998 | 4643466 | हिंगोली | यवतमाळ |
| Media Filter (Sand Filter) | IS 14606: 1998 | 8300145208 | जळगाव | ठाणे |
| Media Filter (Sand Filter) | IS 14606: 1998 | 3705255 | जालना | रायगड |
| Hydro cyclon Filter | IS 14743: 1999 | 3285158 | कोल्हापूर | |
| Hydro cyclon Filter | IS 14743: 1999 | 4712762 | लातूर | |
| Hydro cyclon Filter | IS 14743: 1999 | 3705356 | नागपूर | |
| PVC Pipes | IS 4985 – 2000 | 3747877 | नांदेड | |
| PVC Pipes | IS 4985 – 2000 | 6300070090 | नंदुरबार | |
| PVC Pipes | IS 4985 – 2000 | 7840786 | नाशिक | |
| PVC Pipes | IS 4985 – 2000 | 7600055414 | एकुण | ३४ |

वैधता कालावधी : सन २०२२-२३ ते २०२६-२७

परिशिष्ट क्र.१: सन २०२२-२३ मध्ये नोंदणीस मान्यता देण्यात आलेल्या उत्पादकांची यादी

उत्पादकाचे नाव : संजारी इरीगेशन, बुन्हानपूर

टिबक सिंचन

| बि.आय.एस.नोंदणी क्र. व वैधता कालावधी | | | मान्यता प्राप्त जिल्हा यादी | |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|---|
| BIS Component | BIS NO | CML NO | | |
| Laterals | IS 12786: 1989 | 8200131497 | जळगाव | |
| Emitter(Dripper) | IS 13487: 1992 | 8748302 | बुलढाणा | |
| Emitting Pipe(Inline) | IS 13488: 2008 | 8200125910 | औरंगाबाद | |
| Str. type filters(Scren/Disc) | IS 12785: 1994 | 7272068 | जालना | |
| Media Filter (Sand Filter) | IS 14606: 1998 | 2930560 | | |
| Hydro cyclon Filter | IS 14743: 1999 | ,0002878180 | | |
| PVC Pipes | IS 4985 – 2000 | 7236973 | | |
| | | | एकुण | ४ |

वैधता कालावधी : सन २०२२-२३ ते २०२६-२७




परिशिष्ट क्र.१: सन २०२२-२३ मध्ये नोंदणीस मान्यता देण्यात आलेल्या उत्पादकांची यादी
उत्पादकाचे नाव : आर डी पाईप अँड इरीगेशन, राजकोट

ठिबक व तुषार सिंचन

| बि.आय.एस.नोंदणी क्र. व वैधता कालावधी | | | मान्यता प्राप्त जिल्हा यादी | |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|---|
| BIS Component | BIS NO | CML NO | | |
| Laterals | IS 12786: 1989 | 7600153313 | औरंगाबाद | |
| Emitting Pipe(Inline) | IS 13488: 2008 | 7600143613 | जालना | |
| Str. type filters(Scren/Disc) | IS 12785: 1994 | 3006128 | जळगाव | |
| Str. type filters(Scren/Disc) | IS 12785: 1994 | 7714781 | बीड | |
| Str. type filters(Scren/Disc) | IS 12785: 1994 | 2829773 | अहमदनगर | |
| Venturi Injector | IS 14483 (Part 1) | 7800008015 | | |
| Venturi Injector | IS 14483 (Part 1) | 3178056 | | |
| Media Filter (Sand Filter) | IS 14606: 1998 | 2875174 | | |
| Hydro cyclon Filter | IS 14743: 1999 | 2900854 | | |
| Hydro cyclon Filter | IS 14743: 1999 | 3285158 | | |
| Hydro cyclon Filter | IS 14743: 1999 | 3795989 | | |
| PVC Pipes | IS 4985 – 2000 | 7200178006 | | |
| Rot.sprinkler Part I | IS 12232 (2011) | 8939410 | | |
| Rot.sprinkler Part I | IS 12232 (2011) | 3709364 | | |
| HDPE Sprinkler pipes - | IS 14151 (part II) | 7600154610 | | |
| | | | एकुण | ५ |

वैधता कालावधी : सन २०२२-२३ ते २०२६-२७


आयुक्त कृषि
२६/५
महाराष्ट्र राज्य, पुणे